P.A. No.15/2005

15.11.2019 अपीलकर्ता की ओर से महेश प्रसाद महतो की हाजरी है तथा उत्तरवादी संख्या–1, 5, 8, 12, 13 एवं 2, 6ए, 6बी की ओर से पृथक–पृथक वकालतन हाजरी दी गयी।

अपीलार्थीगण की ओर से शक्ति पत्र के साथ प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता संख्या–1 राम बदन महतो अपने पीछे दो पुत्र सुरेश प्रसाद महतो, महेश प्रसाद महतो तथा विधवा सिया देवी व पुत्री सुनीता देवी को छोड़कर दिनांक–07.11.2019 को स्वर्गवासी हो गये, जिनके पुत्रगण पूर्व से पक्षकार हैं, अतः उनकी विधवा पत्नी व पुत्री को अपीलकर्तागण के रूप में पक्षकार बनाया जाय। उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित तथा विधिक समय–सीमा के भीतर है एवं उत्तरवादी पक्ष द्वारा आवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया, फलस्वरूप प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–15.11.2019 स्वीकार कर कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के अनुरूप मेमो ऑफ अपील में मृतक का नाम काटकर वांछित पक्षकारों को प्रतिस्थापित करें।

अभिलेख दिनांक–22.11.2019 वास्ते प्रतिस्थापन व सुनवाई।

लेखापित,

अपर जिला न्यायाधीश–प्रथम,